


अब्दुल सलाम मोल्ला
बनाम
16 आना रैयत
मौजा-मोहब्बतपुर

आदेश-फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख..... जिला-साहेबगंज

केस के प्रकार-धारा - प्रधान बहाली वाद संख्या 54/2019-20

आदेशकी क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तार सहित
1	2	3
<p>19.8.19</p>	<p>अंचल अधिकारी, पतना के पत्रांक 352/रा० दिनांक 23.07.2019 के द्वारा मौजा- मोहब्बतपुर के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया। अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा- मोहब्बतपुर में दिनांक 13.08.2019 को श्री जमशेद मोल्ला के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से अब्दुल सलाम मोल्ला, पिता-ईमामुद्दीन मोल्ल, ग्राम- मोहब्बतपुर, को मौजा- मोहब्बतपुर में प्रधान के रूप में चाहते हैं तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा। अंचल अधिकारी, पतना ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा- मोहब्बतपुर वर्ष 1985 से प्रधानी कार्य चल रहा है। वर्तमान में आवेदक अब्दुल सलाम मोल्ला को प्रधानी पट्टा उपलब्ध नहीं है। इनके द्वारा बताया गया कि मेरा प्रधानी पट्टा एवं अन्य कागजात खो गया है। प्रधानी पट्टा नहीं रहने के कारण प्रधानी मानदेय नहीं मिल रहा है। मौजा मोहब्बतपुर में लगभग 40 वर्ष से प्रधानी कार्य कर रहे हैं। इनके प्रधान बहाल होने से 16 आना रैयतो को आपत्ति नहीं है। अतएव अंचल अधिकारी, पतना के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक अब्दुल सलाम मोल्ला को मौजा- मोहब्बतपुर, में संधाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पतना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल।</p>	<p>428/210 31.8.19 अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल। 31.8.19 अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।</p>